

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक-सं0स0-रे0/यो0/अंगीभूत/रे0 प्रचार-प्रसार-3/18 1399 पटना, दिनांक-28-03-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :- अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के तहत रेशम उद्योग के माध्यम अनुसूचित जाति के परिवारों के सशक्तीकरण के लिए लागू कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वर्तमान वर्ष 2017-18 में रू0 87,00,000/- (सतासी लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के तहत रेशम उद्योग के माध्यम अनुसूचित जाति के परिवारों के सशक्तीकरण के लिए लागू कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वर्तमान वर्ष 2017-18 में रू0 87,00,000/- (सतासी लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 87,00,000/- (सतासी लाख) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास विपत्र कोड-23- 2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0105.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी संलग्न विवरणी में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। स्वीकृत राशि का व्यय अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत रेशम विकास कार्यक्रमों के विज्ञापन, हॉडिंग लगाने, कार्यशाला/सेमिनार/कृषक दिवस, तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम, पंपलेट, बुकलेट की छपाई आदि कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे। इसके लिए एक Guideline निदेशालय स्तर से तैयार कर कार्यान्वयन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या:- रे0/यो0/अंगीभूत/रे0 प्रचार-प्रसार-3/18 के पृष्ठ 03/टि0 पर दिनांक 24.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक- संलग्न व्यय विवरणी (अनु0-1)।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- रे0/यो0/अंगीभूत/रे0 प्रचार-प्रसार-3/18 1399 पटना, दिनांक- 28.03.18
प्रतिलिपि- व्यय विवरणी सहित कोषागार पदाधिकारी, पटना/भागलपुर/बाँका/नवादा/
मुजफ्फरपुर/पूर्णिया/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- रे0/यो0/अंगीभूत/रे0 प्रचार-प्रसार-3/18 रे0 1399 पटना, दिनांक- 28.03.18
प्रतिलिपि- व्यय विवरणी सहित सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पटना/ भागलपुर/
पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/अग्र परियोजना पदा0, अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबाजार, बाँका/कौआकोल,
नवादा/गंगटामोड़, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- रे0/यो0/अंगीभूत/रे0 प्रचार-प्रसार-3/18 रे0 1399 पटना, दिनांक- 28.03.18
प्रतिलिपि- व्यय विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,
पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला
पदाधिकारी, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बाँका, नवादा एवं मुंगेर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बाँका, नवादा एवं मुंगेर/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

व्यय विवरणी

क्र०सं 0	कार्यान्वयन पदाधिकारी	निकासी / व्ययन पदाधिकारी	कोषागार	स्वीकृत राशि (रु० लाख में)
1	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पूर्णिया	पूर्णिया	20.00
2	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पटना	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पटना	सचिवालय कोषागार, विकास, भवन, पटना	10.00
3	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पूर्णिया	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पूर्णिया	पूर्णिया	7.00
4	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), भागलपुर	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), भागलपुर	भागलपुर	10.00
5	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), मुजफ्फरपुर	सहायक उद्योग निदेशक (रे०), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	10.00
6	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, कौवाकोल, नवादा	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, कौवाकोल, नवादा	नवादा	10.00
7	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबजार, बाँका	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबजार, बाँका	बाँका	10.00
8	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, गंगटामोड़, मुंगेर	अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, गंगटामोड़, मुंगेर	मुंगेर	10.00
				87.00

(कुल रु० सतासी लाख मात्र)

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।